न्यायालय अति. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी : अशोक सांगवा, आर.ए.एस.

प्रकरण सं.–10/2025

1. प्रतापसिंह उम्र 53 वर्ष पुत्र श्री जीतसिंह जाति जटसिख निवासी चक 12 जीडी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर(राज.)

–निगरानीकर्ता

बनाम्

1. सरपंच, ग्राम पंचायत 19 जी.डी. पंचायत समिति घड़साना तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर(राज.)
2. सचिव, ग्राम पंचायत 19 जी.डी. पंचायत समिति घड़साना तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर(राज.)
3. पुष्पा कंवर उम्र 65 वर्ष पत्नी भवंरसिंह जाति राजपूत निवासी चक 12 जीडी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर(राज.)

–गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994

उपस्थिति :–

1. श्री हरेन्द्र सिंह सैंखों, अधिवक्ता निगरानीकर्ता
2. श्री इन्द्राज कस्वां, अधिवक्ता गैर निगरानीकर्ता/अप्रार्थी सं.–3

अतिरिक्त जिला कलक्टर अनूपगढ़

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 10.06.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि–

1. निगरानीकर्ता के द्वारा जरिए अधिवक्ता पेश कर निवेदन किया कि निगरानीकर्ता चक 12 जीडी का स्थाई निवासी है। यह निगरानी विरूद्ध संकल्प सं.–05 दिनाक 05.05.2018 जिसके अनुशरण में पट्टा सं.–59 (बुक सं.–57) दिनांक 17.05.2018 गैर निगरानीकर्ता सं.–3 के नाम से जारी किया गया है। उक्त पट्टा गलत, विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत किये जाने के विरूद्ध मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रस्तुत की गयी है।
2. निगरानी मियाद बिन्दू पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज की जाकर अप्रार्थी सं.–1व2 से रिकॉर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी सं.–3 को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं.–3 जरिए अधिवक्ता श्री इन्द्राज कस्वां उपस्थित हुए। अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता ने जवाब पेश न कर सीधे बहस करना चाहा। जवाब गैरनिगरानीकर्ता–3 बंद किया गया।
3. बहस निगरानी सुनी गई। अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को बहस समझा जाने का निवेदन किया। निगरानी में वर्णित तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता चक 12 जीडी का स्थाई निवासी है। प्रार्थी/निगरानीकर्ता के प्लॉट के चिपते खाली जगह थी जो कि राजकीय भूमि थी। उक्त राजकीय भूमि के संबंध में ग्राम पंचायत 19 जीडी द्वारा दिनांक 05.05.2018 को संकल्प सं.–05 पारित किया जाकर उसकी अनुपालना में इसी दिनांक को गैर निगरानीकर्ता सं.–03 पुष्पा कंवर के पक्ष में एक पट्टा सं.–59 बाबत् भूखण्ड तदादी 45X59 कुल 295 वर्गगज क्षेत्र का जारी किया गया। गैरनिगरानीकर्ता सं.–3 के नाम जारी किया गया पट्टा विधि विरूद्ध, प्राकृतिक न्यायिक सिद्धांतों के विपरीत खिलाफ कानून होने के कारण निरस्ती योग्य है। पट्टा दिनांक 20.08.2018 को निगरानी में विवादित पट्टा दर्ज किया जावेगा। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा नियम 157(1) के तहत जारी किया गया है। उक्त नियम के तहत केवल मात्र पुराने निर्मित घरों का ही पट्टा जारी किया जा सकता है जबकि वर्तमान प्रकरण में विवादित प्लॉट पर पुष्पाकंवर गैर निगरानीकर्ता सं.–03 का कोई पुराना मकान नही था। पुष्पाकंवर का पति भवंरसिंह राजकीय कर्मचारी था तथा वह सेवाकाल के दौरान तथा सेवानिवृति के बाद विवादित प्लॉट के नजदीक बने सरकारी क्वार्टर में ही निवास करते थे। क्वार्टर पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। इसी दौरान भवंरसिंह ने गैरनिगरानकर्ता सं.–1व2 से